

भवन निर्माण विभाग

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	कार्यान्वयन करने वाले पदाधिकारी का नाम
1.	विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं यथा विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित परिवार (यथा भवन निर्माण की गुणवत्ता, समयावधि आदि)	1. नए सरकारी भवनों के निर्माण के साथ पूर्व निर्मित भवनों का अनुरक्षण—मरम्मत कार्य करती है। 2. आधुनिक जल प्रबंधन के जरिए प्राकृतिक जल को संरक्षित किया जाना है। सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था।	सरकारी पदाधिकारी/ कर्मचारी/ आम जनता जिनके द्वारा इन भवनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।	कार्यपालक अभियंता/भवन प्रमंडल
2.	भवनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव संबंधी परिवार	गुण नियंत्रण कार्य हेतु प्रयोगशाला पूर्ण रूप से पहले नहीं था जिसके कारण यहाँ के कर्मचारियों को किसी अन्य प्रयोगशाला में कार्य करना पड़ता था। इस कठिनाई को देखते हुए विभाग द्वारा पूर्ण रूप से प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की कार्यवाई की जा रही है।	सरकारी पदाधिकारी/ कर्मचारी/ आम जनता जिनके द्वारा इन भवनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।	कार्यपालक अभियंता/भवन प्रमंडल
3	संवेदको के भुगतान से संबंधित मामले	भवन निर्माण विभाग के अंतरगत सरकारी/ सरकारी संस्थानों के भवनों के निर्माण मुख्यतः प्रमंडल स्तर पर किये जाते हैं। जिससे संबंधित प्रमंडल क्रियान्वित कराया जाता है। निर्माण/मरम्मती योजनाओं के कार्यान्वयन में योजना के स्वीकृति के पश्चात निविदा के माध्यम से एजेन्सी का चयन कर उनके माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसमें एजेन्सी/संवेदकों द्वारा विपत्र प्रमंडल में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार राशि या विपत्र का भुगतान किया जाता है।	संबंधित एजेन्सी/संवेदक	संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता
4	विभाग के क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के निमित्त आवंटन से संबंधित परिवार	सभी योजनाएँ जो भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।	संबंधित एजेन्सी/संवेदक	संयुक्त सचिव (बजट) भवन निर्माण विभाग